भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1828

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

अटल भूजल योजना

1828. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अटल भूजल योजना (एबीवाई) के लिए धनराशि का आवंटन बजट अनुमान 2024-25 के 1,778 करोड़ रुपए से घटाकर संशोधित अनुमान 2024-25 में 600 करोड़ रुपए किये जाने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्रीय क्षेत्र की योजना की बजाय केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और बिहार राज्यों में एबीवाई के विस्तार का औचित्य क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2024-25) की अनुशंसा के अनुसार एबीवाई का स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराने की योजना बना रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): अटल भूजल योजना (एबीवाई) सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से चलाई जाने वाली सतत भूजल प्रबंधन की दृष्टि से एक अनूठी योजना है। इस योजना के तहत, प्रतिभागी राज्यों को उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। व्यय विभाग द्वारा निधि प्रवाह तंत्र से संबंधित जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, एबीवाई को मौजूदा केंद्रीय नोडल एजेंसी मॉडल 2 से नए निधि प्रवाह मॉडल (अर्थात सीएनए मॉडल 1ए - हाइब्रिड मॉडल) में स्थानांतरित किया जाना है। इसके कारण राज्यों को निधि जारी करने की पुनर्व्यवस्था की आवश्यकता थी, जिसके कारण एबीवाई के लिए आवंटन को संशोधित अनुमान चरण में पुनरीक्षित किया गया।

(ख): इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

(ग): जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2024-25) की अब तक ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन पहले ही किए जा चुके हैं और इस योजना की कार्य-निष्पादकता संतोषजनक पायी गयी है।

*****